Regarding enemy property in Mumbai

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं भी एक बहुत ही गम्भीर विषय आपके सामने ला रहा हूं । आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मुम्बई शहर की सीमा पर पश्चिम-उत्तर दिशा में भयंदर महानगरपालिका क्षेत्र है । उसमें काशीगांव नामक एक गांव है । उस गांव की एक जमीन मोइनुद्दीन निज़ामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के नाम से थी । जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वह पाकिस्तान चला गया । ऐसी प्रॉपर्टी को हमारे यहां ?एनेमी प्रॉपर्टी? कहा जाता है । The enemy property is there at Mira Bhayandar. उस प्रॉपर्टी के मालिक निज़ामुद्दीन की मृत्यु हो गयी । उसके बाद उसकी पत्नी हिन्दुस्तान आई । यह सब बताकर उसने पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान का बॉण्ड, पाकिस्तान का स्टाम्प पेपर लेकर हमारे महानगरपालिका क्षेत्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर उस जमीन का मालिकाना हक़ उसके पास है, ऐसा बताया ।

सर, उस पेपर पर इन्होंने उस प्रॉपर्टी को उसके नाम कर दिया और अब वह प्रॉपर्टी बेची जा रही है । बार-बार उसकी शिकायत की गयी, लेकिन उसके ऊपर वहां के कमिश्नर ध्यान नहीं दे रहे हैं । प्रधान मंत्री कार्यालय से इसके बारे में पत्र गया, फिर भी वहां के कमिश्नर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, और न ही एस.पी. कार्रवाई करते हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार उस प्रॉपर्टी को ?एनेमी प्रॉपर्टी? मानकर उस पर ध्यान दे और उस प्रॉपर्टी को अपने अन्तर्गत ले ।